मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

परिपत्र

क्रमांक 03–01 / 7423 जबलपुर, दिनांक 14-08-2008

विषय– निजी भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से सम्बंधित म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की संशोधित एवं पुनरीक्षण नीति.

संदर्भ– अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर का परिपत्र क्रमांक 03–01/6448 दि. 26.06.2008.

निजी भूमि के अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से सम्बंधित मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड की, संशोधित नीति, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शासन की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2007 के आधार पर तैयार की गई है, संलग्न है. यह नीति मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड की सभी ताप विद्युत परियोजनाओं के भू–अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना इत्यादि पर प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार

अतिरिक्त सचिव,
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर

पृ.क्रमांक 03–01/7424 जबलपुर, दिनांक 14.08.08

प्रतिलिपि–

1. अवर सचिव, म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग,भोपाल.
2. कार्यपालक निदेशक(परियोजना–उत्पादन) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर
3. कार्यपालक निदेशक(सिविल)पी.एंड डी.:परि,म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर
4. कार्यपालक निदेशक(वित्त) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर
5. कार्यपालक निदेशक(संचा.संधा.–उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर
6. मुख्य अभियंता(उत्पादन) स.ता.वि.गृ.,म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.सारनी.
7. अति.मुख्य अभियंता(उत्पादन) कार्या.अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर
8. अति.मुख्य अभियंता(सिविल) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,एच–12, किशोर नगर, आनंद नगर रोड,खण्डवा.
9. अधीक्षण अभियंता(सिविल) स.ता.वि.गृ.,म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,सारनी.
10. स्टाफ आफीसर, कार्या.अध्यक्ष एवं सह–प्रबंधक, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर.

संलग्न– म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.की नीति.

अति.मुख्य अभियंता(सिविल)
कार्या.–कार्य.निदे.(सिविल)पी.एण्ड डी.:परि,
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि.,जबलपुर

PKB/Sami/

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन के पूर्ण स्वामित्व में)

निजी भूमि का अर्जन

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति

म.प्र.पॉ.जन.कं.लिमि.– निजी भूमि का अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति

पृष्ठ भूमि एवं प्रस्तावना

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि0 राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व वाली शासकीय कंपनी है। म0प्र0 पावर जनरेटिंग कं0लि0 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के अधीन विभिन्न कंपनियों में विभक्त होने के फलस्वरूप अस्तित्व में आयी है। इस कंपनी के अंतर्गत म0प्र0 राज्य में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य संपादित किया जाता है। प्रत्येक नई परियोजना के निर्माण अथवा पुरानी परियोजना के विस्तार में भूमि एक प्राथमिक आवश्यकता होती है एवं जिसका अधिग्रहण किया जाना आवश्यक होता है। म0प्र0 पॉ0जन0कंपनी लिमि0 (पूर्व में राज्य विद्युत मण्डल का भाग) हेतु शासकीय तथा निजी भूमि इत्यादि का अधिग्रहण राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत किया जाता रहा है। पूर्व मे परियोजनाओं के भू–अर्जन के दौरान पाया गया कि प्रभावित परिवारों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा उनके विस्थापन से उनकी जीविका तथा रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये म0प्र0 शासन की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 को प्रभावशील किया गया है ।

दिनांक 15.05.2008 को सारणी ताप विद्युत गृह 2X250 मेगावाट विस्तार इकाईयों क्रमांक 10 एवं 11 की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय(MoEF) की मूल्यांकन समिति द्वारा नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक के दौरान जब समिति को यह बताया गया कि सारणी विस्तार परियोजना 2ग250 मे0वा0 के राखड़ बांध का भू अधिग्रहण म0प्र0 सरकार की पुनर्वास नीति 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है, तब मूल्यांकन समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भूमि अधिग्रहण में भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति 2007 के प्रावधानों को भी शामिल कर विस्थापित एव प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन किया जाये । इसी प्रकार पूर्व में मालवा ताप विद्युत परियोजना, पुरनी जिला खण्डवा (4x500&600 मे0वा0) की पर्यावरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पुनः वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मूल्यांकन समिति के समक्ष

प्रस्तुत किया जाना है । इस परियोजना का भूमि अधिग्रहण वर्ष 2006 से प्रारंभ किया जा चुका है एवं भूमि भी अर्जित की गयी है तथापि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास शेष है। पर्यावरण स्वीकृति हेतु समिति की बैठक में निश्चित रूप से सारणी की तरह ही राष्ट्रीय नीति 2007 के पालन हेतु निर्देश दिये जाने की संभावना है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय(MoEF) की मूल्याकन समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया कि राष्ट्रीय नीति 2007 तथा म0प्र0 शासन की पुनर्वास नीति 2002 के विभिन्न प्रावधानों को समाहित करते हुये विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु म0प्र0पा0ज0कं0लि0 की एक नई नीति तैयार की जाये जिससे उनका उचित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हो सके । तदानुसार म0प्र0पा0जं0कं0लि0 द्वारा कंपनी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की गयी है जो कि आगे आने वाले पृष्ठों में विस्तृत रूप से वर्णित है ।

एक–. विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये सिद्वान्त :

1. परियोजना से प्रभावित परिवारों की बसाहट में परिवर्तन की संभावना नगण्य है तथापि कंपनी का यह उददेश्य है कि आगे परिभाषित विस्थापित परिवारों(अनैच्छिक) की पुनर्वास व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि नये अथवा पुराने स्थान पर समय के साथ अपने जीवन स्तर में वे सुधार कर सकेंगे।

2. परिभाषित विस्थापित परिवारों को परिचित स्थान से नये स्थान पर स्थानापन्न होने की स्थिति में एवं नये परिवेश में जीवन यापन करने में कोई कष्ट न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

3. पुर्नवास के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा छोटे व सीमात किसानों के विस्थापित परिवारों का भी ध्यान रखा जावेगा।

4. अतिकामको को भी अतिकमण की गई भूमि के लिये मुआवजा दिया जावेगा बशर्ते कि अतिकमण राजस्व भूमि, या वन भूमि पर हो। यह भी शर्त होगी कि उक्त अतिकमण, परियोजना को राज्य या भारत सरकार द्वारा स्वीकृति देने के कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो।

5. कृषि भूमि, आबादी प्लाट, वृक्षों तथा संपत्ति का विस्थापितों को उचित मुआवजा दिया जायेगा।

6. पुनर्वास की नीति इस प्रकार निर्धारित की जावेगी कि दलाल तथा मुनाफाखोर की कोई गुजांइश नहीं रहेगी ।

7. प्रभावित परिवारों को प्रारंभिक अवधि में नये स्थान पर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण या प्रत्येक प्रभावित परिवार के किसी भी एक सदस्य को कंपनी में रोजगार हेतु प्राथमिकता पर अवसर प्रदान किये जावेगें बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हो तथा वे रोजगार के लिये आवश्यक अर्हता एवं पात्रता रखते हो, इसके अलावा निर्माण अवधि में प्रभावित परिवारों के सदस्यों को निर्माण कार्यो में रोजगार हेतु भी प्राथमिकता दी जायेगी।

8. परियोजना निर्माण हेतु भू–अर्जन के कारण इन्हीं प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों में पेयजल में अवरुद्वता परिलक्षित होती है तो उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु हैंडपम्प की व्यवस्था की जायेगी।

9. प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास के समय परिवहन अनुदान की व्यवस्था की जावेगी.

दो– प्रभावित परिवारों के पुनर्वास संबंधी म0प्र0पा0ज0कं0लि0 कंपनी की नीति :

1. परिभाषाएं :

1.1 प्रभावित परिवार

i) ऐसा परिवार जिसके निवास का मूल स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्त्रोत किसी परियोजना के लिये भूमि का अर्जन किये जाने या अर्जन के फलस्वरूप अन्य कारण से अनैच्छिक विस्थापन के द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है अथवा

ii) कोई भू–धृति धारक, काश्तकार पट्टेदार या अन्य सम्पत्ति का स्वामी, जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि (आबादी में भू–खण्ड या अन्य सम्पति सहित) के अर्जन के कारण या इससे संबंधित किसी अन्य कारण से ऐसी भूमि या अन्य सम्पत्ति से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हुआ होः अथवां

iii) कोई कृषि या गैर कृषि श्रमिक, भूमिहीन व्यक्ति (जिसके पास कोई वासभूमि, कृषि भूमि अथवा, या तो वासभूमि अथवा कृषि भूमि नहीं है) ग्रामीण शिल्पकार, छोटे व्यापारी, स्व–नियोजित व्यक्तिः जो उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने की तारीख से पूर्व कम–से–कम तीन वर्षो से अन्यून अवधि से उस क्षेत्र में सतत् रूप से रह रहा हो या किसी व्यापार कारोबार, पेशे या व्यवसाय में लगा हुआ हो और जो अपनी आजीविका अर्जित करने से वंचित हुआ हो या जिसे प्रभावित क्षेत्र में भूमि का अर्जन किये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने के कारण अपने व्यापार, कारोबार, पेशे या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः वंचित होना पड़ा हो ।

iv) परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी या उसका पति, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, पिता, माता और अन्य रिश्तेदार जो उसके साथ रह रहे हों एवं अपनी जीविका के लिए उस पर निर्भर हों, शामिल हैं और ...

इसमें "एकल परिवार", जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी/उसका पति तथा अवयस्क बच्चे हों, भी शामिल हैं।

1.2 व्यक्ति की परिभाषा

अ. छोटा किसान :

ऐसा किसान जिसके पास खाते की असिंचित 2 हेक्टर या (सिंचित एक हेक्टर) या उससे कम भूमि हो।

ब. सीमान्त किसान :

ऐसा किसान जिसके पास खाते की असिंचित 1 हेक्टर या (सिंचित 1/2 हेक्टर) या उससे कम भूमि हो।

स. कृषि श्रमिक :

"कृषि श्रमिक" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है, जो प्रभावित क्षेत्र की घोषणा से तत्काल पूर्व 3 वर्ष से अन्यून अवधि के लिये प्रभावित क्षेत्र का मूल निवासी रहा हो और जो प्रभावित क्षेत्र में कोई भूमि न रखता हो, परन्तु अपनी जीविका मुख्यतः ऐसी घोषणा के तत्काल पूर्व उसमें स्थित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्जित करता हो और जो अपनी जीविका से वंचित हुआ हो।

2. परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन :-

2.1 भारत सरकार की राष्ट्रीय नीतिं 2007 के अध्याय चार की कंडिका 4.3.1 एवं 4.3.2 के अनुसार परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जायेगा तथा संबंधित कार्यवाहियां की जायेंगी।

3. भूमि तथा संपत्ति का अधिग्रहण :

3.1 भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 की कंडिका 5.1 के अधीन मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. ब्लाकों अथवा संविधान की अनुसूची अ अथवा अनुसूची अप के अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रो मे सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन प्रशासक की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। इस हेतु राष्ट्रीय नीति में जिला कलेक्टर के स्तर से अन्यून स्तर (Not below the rank of) के

किसी अधिकारी को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रशासक के रूप मे नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। अतः जहां प्रभावित परिवार मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप मे 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों, डी.डी.पी. ब्लाको अथवा सविधान की अनुसूची v अथवा अनुसूची vi के अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल हो तत्संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य/नियुक्त करने हेतु शासन से अनुरोध किया जायेगा।

3.2 "यदि किसी व्यक्ति की 75 प्रतिशत या अधिक भूमि का परियोजना के लिये अधिग्रहण करना अपेक्षित है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर एवं लिखित सहमति देने पर उसकी शेष भूमि, मकान एवं अन्य सम्पत्ति भी ली जायेगी एव उनकी सम्पति का ही मुआवजा दिया जायेगा एवं बची हुई सम्पत्ति के अधिग्रहण के आधार पर विस्थापित होने पर अन्य पुनर्स्थापन अनुदान इत्यादि नहीं दिये जायेंगे।

3.3 भवनों के लिये मुआवजा, आकंलन के आधार पर दिया जावेगा। मुआवजा निर्धारण में किसी प्रकार का असंतोष तथा पक्षपात को टालने के लिये किसी तीसरी शासकीय संस्था जैसे कि लोक निर्माण विभाग, आर.ई.एस इत्यादि से आंकलन करवाया जायेगा ।

3.4 भवनों के मालिक अपना भवन तोड़कर उसका सारा सामान जहां वे बसना चाहते है ले जा सकेंगे। इसका मुआवजा राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

3.5 पेड़ों का मुआवजा तय करते समय विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों से निश्चित सालो मे होने वाली आमदनी (फल तथा लकड़ी) के आधार पर पूंजीकृत मूल्य सम्मिलित किया जायेगा ।

4. कृषि भूमि का आवंटन :

कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसका भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, को कृषि भूमि या रोजगार मुहैया न कराने के एवज में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका 7.14 के अनुसार 750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

5. अधिग्रहित की जा रही भूमि की कीमतों का निर्धारण :

5.1 परियोजना के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि का भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत प्रभावितों को समुचित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित कृषि भूमि तथा ग्रामीण आबादी प्लाटों का मुआवजा निर्धारित करते समय बाजार मूल्य अथवा समीपवर्ती सिंचाई क्षेत्र (कमाण्ड) की जमीन की कीमतो को आधार माना जायेगा। अन्य भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु निकटवर्ती क्षेत्र के बाहर के उसी आकार की भूमि की औसत भूमि बिकी की दरों को आधार माना जावेगा । जिसमें तोषण राशि 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि 12 प्रतिशत वार्षिक का भी प्रावधान रहेगा।

6. पुनर्स्थापन नीति :

मैदानी क्षेत्रों में 400 परिवारों या इससे अधिक परिवारों, जिनकी पूरी भूमि तथा मकान का परियोजना के लिये अनिवार्यतः अधिग्रहण किया गया हो, का सामूहिक रूप से अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों या डी.डी.पी. खण्डों या भारत के संविधान की अनुसूची V एवं VI में शामिल क्षेत्रों में 200 परिवार या इससे अधिक परिवारों, जिनकी पूरी भूमि तथा मकान का परियोजना के लिये अनिवार्यतः अधिग्रहण किया गया हो, के सामूहिक रूप में अनैच्छिक विस्थापन होने पर उन्हें समुदाय के रूप में नयी जगहों पर पुनर्स्थापित किया जायेगा। पुनर्स्थापन केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा ।

6.1 पुनर्स्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाएं :

केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका कमांक 7.22.1 के अनुसार पुनर्स्थापित क्षेत्रों में पहुंच मार्ग, शुद्ध पेयजल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केन्द, बिजली, पूजा स्थल, डाकघर, कब्रगाह/शमशान गृह, चारागाह, बच्चों के लिये खेल का मैदान इत्यादि अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी

7. प्रभावित परिवारों के लिये अन्य पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ :

7.1 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ उन सभी प्रभावित परिवारों को सेक्शन 4 भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत प्रकाशन की तारीख के तहत प्राप्त होंगे तथा उक्त तारीख के पश्चात् परिवार के परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिये विचार नही किया जायेगा।

7.2 केन्द्र सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका 7.10 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो तथा जिसके पास पशु हों, को पशुशाला निर्माण के लिये रूपये 15,000/– की वित्तीय सहायता राशि दी जायेगी।

7.3 केन्द्र सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका 7.11 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुआ हो, को उसके परिवार, भवन निर्माण सामग्री, उनके सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण के लिये रूपये 10,000/– की वित्तीय सहायता राशि दी जायेगी।

7.4 केन्द्र सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका 7.12 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति, जो कि ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या सुनियोजित व्यक्ति है और जो विस्थापित हुआ है, को कार्य शेड या दुकान के निर्माण के लिये रूपये 25000/–की वित्तीय सहायता राशि दी जायेगी।

7.5 केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के अध्याय कमांक–7 की कंडिका कमांक 7.13.1 के अनुसार :–

(1) परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रति एकल परिवार कम–से–कम एक व्यक्ति की दर से प्रत्येक प्रभावित परिवार, जो विस्थापित हुए हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और रोजगार के लिये प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त हों।

(2) जहां कहीं अपेक्षित होगा, प्रभावित व्यक्तियों (जो विस्थापित हुए हैं) के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था की जायेगी ताकि ऐसे व्यक्तियों को उपयुक्त कार्यों के लिये सक्षम बनाया जा सके।

(3) बाहरी संविदाओं, परियोजना स्थल पर निर्मित दुकानों के आवंटन में अथवा परियोजना स्थल के भीतर या आसपास उत्पन्न होने वाले आर्थिक अवसरों में प्रभावित व्यक्तियों (जो विस्थापित हुए हैं) या उनके समूहों या सहकारिताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) निर्माण चरण के दौरान परियोजना में श्रमिको को लगाने के समय पर इच्छुक भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार प्रभावित व्यक्तियो जो विस्थापित हुए हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।

7.6 केन्द्र सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका 7.16 के अनुसार सभी प्रभावित परिवारों जिनका भूमि अर्जन करना शामिल है तथा अनैच्छिक विस्थापन हुआ है, को विस्थापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिमाह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक जीविका भत्ता दिया जायेगा।

7.7 केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 के अध्याय 7 की कंडिका कमांक 7.21.5 के अनुसार प्रत्येक प्रभावित जनजातीय परिवार जिनका भूमि अर्जन किया जाना शामिल है, को वन उत्पादों के संबंध में परम्परागत अधिकारो अथवा उपयोगा से वंचित होने के एवज में पांच सौ दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जायेगी।

8. बेहतर नागरिक सुविधाएं :

प्रभावित परिवारों की पुरानी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं निर्मित और सुदृढ की जावेगी। इस प्रकार निर्मित की जाने वाली सुविधांए निम्नानुसार सम्मिलित होगी तथा आवश्यकतानुसार उनको बढ़ाया जायेगा।

8.1 परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन के कारण यदि प्रभावित क्षेत्र ग्रामों में पेयजल मे अवरुद्धता परिलक्षित होती है तो उक्त ग्रामों में पेयजल हेतु हैंडपम्प की व्यवस्था की जायेगी।

8.2 परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र/ग्रामों के पहुंच मार्ग मे अवरुद्धता परिलक्षित होती है तो उक्त ग्रामों में वैकल्पिक पहुच मार्ग की व्यवस्था की जायेगी।

9.. अन्य सुविधाएं :

9.1 **मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट** : प्रभावित परिवारों द्वारा पुनरर्थापन की प्रक्रिया में म0प्र0 किसी भी स्थान पर कृषि भूमि अथवा/एवं अन्य कोई अचल संपत्ति कय करने पर स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क छूट प्राप्त होगी। यह छूट विस्थापितों द्वारा कय की गई कृषि भूमि एवं/अथवा अचल संपत्ति के मूल्य अथवा उक्त विस्थापितों को विभिन्न मदों यथा मुआवजा, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के अन्तर्गत प्रदत्त कुल राशि की सीमा तक, जो भी कम हो देय होगी। पक्षकार स्वयं स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की राशि अंतरण दस्तावेजों के पंजीयन के समय चुकायेंगे तथा म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. द्वारा उन्हें उक्त राशि अनुदान के रूप में लौटा दी जायेगी।

10. **नीति का कार्य क्षेत्र**

उक्त नीति म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अधीन समस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के लिये प्रभावशील होगी।

नोटः म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. की उपरोक्त पुनर्वास एवं पुनरर्थापन नीति व्यापक रूप से केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनरर्थापन नीति 2007 पर आधारित है । उपरोक्त प्रावधानों के अलावा विशेष परिस्थितियों में, विरोधाभाष अथवा संशय होने पर केन्द्र सरकार की पुनर्वास एवं पुनरर्थापन नीति 2007 के संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखकर इनका पालन किया जायेगा ।

अति.मुख्य अभियंता(सि)–2
कार्या.कार्य.निदे.(सि.)पी.एंडडी.:परि.

अति.मुख्य अभियंता(सि.)–3
कार्या.कार्य.निदे.(सि.)पी.एंडडी.:परि.